# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

कमांक एफ 21 (7)2023–24/विकास/प्रमुवस/ 8414 दिनांकः 21.09.23

## कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2023–24 की बजट घोषणा संख्या 48(II) "राज्य में पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 50 पक्षी घर बनाये जायेंगे" के कियान्वयन हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश कमांक 6628 दिनांक 03.08.2023 द्वारा आवंटित में मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के पत्रांक 3364 दिनांक 24.08.2023, मुख्य वन संरक्षक,वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक, मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व,कोटा के पत्रांक 3728 दिनांक 29.08.2023, उप वन संरक्षक,करौली के पत्रांक 5735 दिनांक 06.09.2023 एवं उप वन संरक्षक,भीलवाडा के पत्रांक 5608 दिनांक 23.08.2023 द्वारा प्राप्त प्रस्तावानुसार स्थापित किये जाने वाले पक्षी घर के स्थान में निम्नानुसार परिवर्तन किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

| बजट मद | मुख्य वन संरक्षक | उप वन संरक्षक | आवंटित बजट (राशि रू. लाखो में) | पूर्व में प्रस्तावित स्थान | संशोधित स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| 4406–02–111 –02–00–16 लघु निर्माण कार्य | अजमेर | उप वन संरक्षक, अजमेर | 87.00 | बोटेनिकल गार्डन. | नसीराबाद रेंज के कार्यालय परिसर में |
| 4406–02–111 –02–00–16 लघु निर्माण कार्य | | उप वन संरक्षक, भीलवाडा | 87.00 | वर्ष 2022–23 में स्थापित लव कुश वाटिका | लवकुश वाटिका हमीरगढ |
| 4406–02–111 –02–00–16 लघु निर्माण कार्य | भरतपुर | उप वन संरक्षक, करौली | 87.00 | स्वर्ण जयन्ती, वानिकी उद्यान, करौली | केन्द्रीय पौधशाला करौली |
| 4406–02–111 –02–00–16 लघु निर्माण कार्य | वन्यजीव, कोटा | उप वन संरक्षक,वन्यजीव, कोटा | 87.00 | चिडियाघर, कोटा | अभेडा बायोलॉजिकल पार्क, कोटा |

उक्त आंवटित बजट का उपयोग करते समय निम्न दिशा –निदेशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

1. उक्त आंवटन में यदि बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें।
2. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
3. बजट का उपयोग सामान्य वितीय एवं लेखा नियमो, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमो के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमो/आदेशो की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओ के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. वन विकास कार्यो को यथाशीघ्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।

(पी.के. उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान,जयपुर

D:\Users\USER\Desktop\Misc C 2023-24.docx

1592

क्रमांक एफ 21 (7)2023–24 / विकास / प्रमुवस / 8415-25 दिनांकः 21.09.23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित हैः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,राजस्थान,जयपुर
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर / भरतपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक,वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक, मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व,कोटा
4. वित्तिय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर ।
5. उप वन संरक्षक, अजमेर / भीलवाडा / करौली।
6. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा) / संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग) / कम्प्यूटर शाखा / रक्षी पत्रावली।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान,जयपुर



D:\Users\USER\Desktop\Misc C 2023-24.docx